

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-374 / 2013
 संस्थित दिनांक-06.05.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखंड,
 तहसील-बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.) - - - - - अभियोजन

// **विरुद्ध** //

जितेन्द्र उर्फ जीतू, पिता अशोक कुमार, उम्र 33 वर्ष,
 साकिन मोहगांव, थाना मलाजखंड
 जिला बालाघाट - - - - - आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-30/08/2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34(1) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-05.04.2013 को शाम 6:20 बजे थाना वार्ड नं. 4 मोहगांव थाना मलाजखंड जिला बालाघाट अंतर्गत अपनी किराना दुकान में अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 81 नग गोवा, 4 नग बेग पाईपर, 24 नग आर.एस., 11 नग एम.डी. मदिरा , प्रत्येक में 180 एम.एल., 11 नग आर.एस. 90 एम.एल., 03 नग छोटी बियर, 24 नग छोटी 5000 हेवर्ड शराब को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि आरक्षी केंद्र मलाजखंड के सहायक उपनिरीक्षक राजन्द्र कुमार उपाध्याय को दिनांक-05.04.2013 को जब वह निरीक्षक के साथ गश्त पर था उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मोहगांव का जितेन्द्र उर्फ जीतू अवैध रूप से अंग्रेजी शराब अपनी किराना दुकान में अवैध रूप से रखा है। उक्त सूचना के आधार पर हमराह स्टाफ एव साक्षियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा तो आरोपी के किराना दुकान में 81 नग गोवा, 4 नग बेग पाईपर, 24 नग आर.एस., 11 नग एम.डी. मदिरा, प्रत्येक में 180 एम.एल., 11 नग आर.एस. 90 एम.एल., 03 नग छोटी बियर, 24 नग छोटी 5000 हेवर्ड शराब कुल जुमला 13,305 रुपये रखा होना पाया गया। आरोपी से उक्त शराब को गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-33/2013 अंतर्गत धारा-34(1) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए। जप्तशुदा शराब को आबकारी निरीक्षक बैहर से

परीक्षण कराया गया तथा प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोगपत्र पेश किया गया।

3— आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34(1) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-05.04.2013 को शाम 6:20 बजे स्थान वार्ड नं. 4 मोहगांव थाना मलाजखंड जिला बालाघाट अंतर्गत अपनी किराना दुकान में अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 81 नग गोवा, 4 नग बेग पाईपर, 24 नग आर.एस., 11 नग एम.डी. मदिरा, प्रत्येक में 180 एम.एल., 11 नग आर.एस. 90 एम.एल., 03 नग छोटी बियर, 24 नग छोटी 5000 हेवर्ड शराब को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— राजेन्द्र कुमार उपाध्याय (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-05.04.2013 को थाना मलाजखंड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह निरीक्षक के साथ ग्राम गश्त पर गया था तो उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी अपनी किराना दुकान में अंग्रेजी शराब अवैध रूप से रखा हुआ है। वह हमराह स्टाफ एवं साक्षियों के साथ घटना स्थल पर गया तथा आरोपी के कब्जे जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार साक्षियों के समक्ष शराब जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। थाना वापस आकर उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-33/2013, धारा-34(1) आबकारी अधिनियम का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 लेखबद्ध किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा शराब का आबकारी उपनिरीक्षक बैहर से परीक्षण कराया गया था, जिसका जांच प्रतिवेदन प्रकरण में संलग्न किया गया है। उसके द्वारा प्रकरण में रवानगी एवं वापसी सान्हा पेश किया गया है, जिसकी रोजनामचा प्रति प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 है।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 पर अपराध क्रमांक का उल्लेख किया है, जबकि उक्त कार्यवाही के बाद अपराध पंजीबद्ध हुआ था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने मौके पर जप्त शराब को सीलबंद करने का पंचनामा प्रकरण में पेश नहीं किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती कार्यवाही के समय ही शराब का सैम्पल तैयार किया जाता है और उसका उल्लेख जप्ती पंचनामा में किया जाता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामे में जप्ती के समय सैम्पल निकालने का उल्लेख जप्ती पंचनामा में नहीं किया है।

साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कथित सैम्पल निकालने की कार्यवाही थाने में की गई थी और उसके द्वारा शराब के सैम्पल की कार्यवाही गवाहों के सामने नहीं की गई और न ही उसका पंचनामा तैयार किया गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जांच सैम्पल की वापसी में कथित तरल पदार्थ सीलबंद होकर प्राप्त होता है और इस मामले में नमूना रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर चपड़ा व सामग्री वापस प्राप्त नहीं हुई थी और उसने वापसी के लिए प्रयास नहीं किया। इस प्रकार साक्षी के द्वारा मामले में की गई, उक्त तात्त्विक त्रुटि एवं महत्वपूर्ण विसंगति के तथ्यों को स्वीकार किया गया होने से साक्षी के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद प्रकट होती है।

7— अशोक कुमार माहोरे (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-18.04.2013 को आबकारी वृत्त बैहर पूर्व में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मलाजखंड के अपराध क्रमांक-33/2013 में जप्त मदिरा सीलबंद हालत में सैम्पल जांच हेतु प्राप्त हुई थी, उसने जांच हेतु प्राप्त मदिरा गोवा के 1 पाव, बैग पाईपर के 1 पाव, रायल स्टेल 180 एम.एल के 1 पाव, रायल स्टेज 90 एम.एल., मैकडावल के सील खोलकर चख-सूंघकर देखने पर स्पीट का रंग और स्वाद होना पाया और यांत्रिक परीक्षण पर मदिरा तेजी होना पाया। इसके अलावा जांच हेतु प्राप्त एक बड़ी एवं छोटी बीयर की बोतल, एक छोटी बीयर हेवटस को खोलने पर झाग निकला द्रव्य को चक-सूंघ देखने पर माल्ट की गंध एवं स्वाद होना पाया। उपरोक्त जांच के सभी द्रव्यों पर नीला लिटमस पेपर डुबाने पर उसका रंग अप्रभावी रहा। उपरोक्त द्रव्य को उसके द्वारा जांच पश्चात् वापस बोतल में भरकर अपनी हस्ताक्षरित चीटो से बोतल में भरकर सील किया गया था। उक्त शराब की जांच एवं अनुभव के आधार पर क्रमांक-1 से 5 तक का द्रव्य विदेश मदिरा स्पीट एवं क्रमांक-6 से 8 तक विदेश मदिरा माल्ट होना पाया गया था। जांच रिपोर्ट मय मुद्देमाल के आरक्षक किशनलाल क्रमांक-320 को सौंपा गया था। उक्त जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने जांच के लिए पूरी सील बंद का पाव, शीशीयों प्राप्त हुई थी तथा जांच हेतु नमूना सैम्पल अलग से प्राप्त नहीं हुआ। इस साक्षी के द्वारा पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रेषित कथित मदिरा की जांच कर तैयार परीक्षण रिपोर्ट को साक्ष्य में प्रमाणित किया गया है। यद्यपि इस साक्षी की साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती कि उसके द्वारा मामले में जप्तशुदा तरल पदार्थ की ही जांच की गई थी।

8— कपूरदास (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है, जो उसके ही गांव का रहने वाला है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपी को उसके समक्ष गिरफ्तार नहीं किया गया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसके सामने पुलिस द्वारा कथित जप्ती एवं गिरफ्तारी कार्यवाही से तथा उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

9— संतोष (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग 3-4 माह पूर्व की है, जब वह थाना मलाजखंड गया था तो पुलिस ने उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस ने उसके सामने आरोपी की दुकान से कोई जप्ती नहीं की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसके सामने पुलिस द्वारा कथित जप्ती एवं गिरफ्तारी कार्यवाही से तथा उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

10— प्रकरण में अभियोजन का पूरा मामला जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही पर निर्भर है। यह सही है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य का अन्य व्यक्ति व साक्षी की साक्ष्य की तरह विश्वसनीय मानी जानी चाहिए, किन्तु जहाँ पुलिस अधिकारी के द्वारा मामले में सम्पूर्ण कार्यवाही स्वयं अकेले के द्वारा निष्पादित की गई हो, वहां ऐसे पुलिस अधिकारी की कार्यवाही को साक्ष्य में निष्पक्षतापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण कार्यवाही किये जाने के तथ्य को प्रकट करना होता है। मामले में उक्त मानक स्तर की कार्यवाही के आधार पर जप्ती अधिकारी की साक्ष्य का सूक्ष्मता से विवेचना किया जाना होगा।

11— प्रकरण में स्वतंत्र साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। मामले में एकमात्र जप्ती अधिकारी राजेन्द्र कुमार उपाध्याय (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के आधिपत्य से कथित तरल पदार्थ को जप्त करने का तथ्य प्रकट किया है, किन्तु कथित तरल पदार्थ को मौके पर जप्त करने पर उसके द्वारा मौके पर ही कथित तरल पदार्थ को शराब के रूप में पहचान करने का आधार अपनी साक्ष्य में प्रकट नहीं किया गया है। साक्षी ने मौके पर ही कथित जप्ती के समय पृथक से नमूना सैम्पल नहीं निकाले जाने, मौके पर ही साक्षियों के समक्ष कथित तरल पदार्थ को सीलबंद न किये जाने, जैसे महत्वपूर्ण तथ्य को अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किये जाने से यह प्रकट होता है कि साक्षी के द्वारा की गई जप्ती कार्यवाही विधिवत् रूप से नहीं की गई थी। उक्त के अलावा जप्ती कार्यवाही में ही अपराध क्रमांक का उल्लेख किये जाने का साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। साक्षी ने जप्ती अधिकारी के रूप में जप्ती, गिरफ्तारी, प्राथमिकी दर्ज करने एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने की सम्पूर्ण कार्यवाही निष्पादित की है। यह भी उल्लेखनीय है कि कथित जप्तशुदा तरल पदार्थ की जांच करने वाले अधिकारी की साक्ष्य से भी इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि मामले में जप्तशुदा तरल पदार्थ की ही उसके द्वारा जांच कर परीक्षण किया गया था। इस प्रकार एकमात्र जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई सम्पूर्ण विसंगति एवं त्रुटिपूर्ण कार्यवाही का समर्थन स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा नहीं किया गया होने और उसकी कार्यवाही में निष्पक्षता, पारदर्शिता के संबंध में संदेह प्रकट होने के कारण अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट हो जाता है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है

कि आरोपी ने दिनांक-05.04.2013 को शाम 6:20 बजे स्थान वार्ड नं. 4 मोहगांव थाना मलाजखंड जिला बालाघाट अंतर्गत अपनी किराना दुकान में अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 81 नग गोवा, 4 नग बेग पाईपर, 24 नग आर.एस., 11 नग एम.डी. मदिरा , प्रत्येक में 180 एम.एल., 11 नग आर.एस. 90 एम.एल., 03 नग छोटी बियर, 24 नग छोटी 5000 हेवर्ड शराब को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा। अतः आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34(1) के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत व मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा शराब अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावें अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)